

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

01 अगस्त, 2023 (ई०)

मंगलवार, तिथि-

[द्वादश (मानसून) सत्र]

10 श्रावण, 1945 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)  
प्रारम्भिक-कार्य

-:प्रश्नोत्तर:-

- (01) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03) शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04) श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० एवं श्री प्रदीप यादव स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक 31-07-2023 से स्थगित)
- (05) सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक 31-07-2023 से स्थगित)
- (06) श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07) सर्वश्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, विनोद कुमार सिंह एवं श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (08) डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

कृ०पृ०३०/-

--:02:--

- (09) डॉ० लम्बोदर महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (10) श्री उमाशंकर अकेला,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

--: समितियों का गठन :-

- (11) झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

--: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (12) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (13) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

--: वित्तीय-कार्य :-

- (14) वित्तीय वर्ष-2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।

{कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

--:विधायी-कार्य :-

--: राजकीय विधेयक :-

“ झारखण्ड विनियोग(संख्या-03)विधेयक,2023 ”

- (15) मंत्री प्रभारी, वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड विनियोग (संख्या-03)विधेयक,2023”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (16) मंत्री प्रभारी,वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (17) मंत्री प्रभारी,वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड विनियोग (संख्या-03)विधेयक,2023”पर विचार हो।
- (18) मंत्री प्रभारी,वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-03)विधेयक,2023”स्वीकृत हो।
- (19) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा,राँची।  
कृ०पृ०उ०.....३

